विधिक नोटिस

(स्पीड पोस्ट द्वारा)

अज कार्यालय राजकुमार लाम्बा एडवोकेट पिलानी, न्यायालय परिसर, पिलानी, जि. झुन्झुनू

बनाम

1. **चेयरपर्सन,** श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, चूरू-झुन्झुनू रोड, चुडैला, जि. झुन्झुनू, राजस्थान। (श्री विनोद टीबडेवाला)

2. **रजिस्ट्रार,** श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, चूरू-झुन्झुनू रोड, चुडैला, जि. झुन्झुनू, राजस्थान। (श्री अजित कुमार)

विषय: झूठे एवं दुर्भावनापूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution), मानहानि (Defamation), अभिलेखों के अनधिकृत उपयोग एवं आर्थिक-मानसिक क्षति के लिए सार्वजनिक माफीनामा एवं ₹75,00,000/- (पचहत्तर लाख रुपए) क्षतिपूर्ति हेतु विधिक नोटीस

महोदय,

मेरे मुवक्किल **श्री सागरसिंह भरतसिंह कछवा, पता:** 184, वाणी गल्ली, भाडणे, तह. साक्री, जि. धुले, पिनकोड-424304, (महाराष्ट्र), **हाल निवास:** एल जी-02, प्लॉट नंबर 79, शांति नगर DCM, अजमेर रोड, जयपुर-302019 (राजस्थान) की ओर से आपको यह विधिक नोटिस प्रेषित किया जा रहा है:

1. पृष्ठभूमि एवं सेवा संबंध

1. यह कि, मेरे मुवक्किल **श्री सागरसिंह भरतसिंह कछवा** लगभग 10 वर्षों तक आपके संस्थान में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे तथा उनकी पत्नी श्रीमती पूनम सिंह भी संस्थान में योग शिक्षक के रूप में कार्यरत थीं।
2. यह कि **मेरे मुवक्किल एक शिक्षाविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं,** जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार, पारदर्शिता एवं सार्वजनिक हित के विषयों पर सक्रिय रूप से कार्यरत रहें है।
3. यह कि, **दिनांक 03.01.2024** को मेरे मुवक्किल एवं उनकी पत्नी से आपने दबाव, भय एवं प्रताड़ना के माध्यम से जबरन त्यागपत्र लिया गया, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से NAAC प्रत्यायन हेतु तैयार किए जा रहें अनियमित/अवैध दस्तावेजों को प्रमाणित करने से मना कर दिया था।

2. अभिलेखों/हस्ताक्षर का अनधिकृत उपयोग

4. यह कि, मेरे मुवक्किल के संस्थान से पृथक होने के बाद भी मेरे मुवक्किल के नाम एवं हस्ताक्षर का उपयोग संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशासनिक अभिलेखों में किया जाना उनके संज्ञान में आया।
5. यह कि, इस संबंध में मेरे मुवक्किल द्वारा संस्थान के संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट रुप से अवगत कराते हुए ऐसे किसी भी उपयोग को तत्काल रोकने हेतु चेताया गया था।
6. यह कि, उक्त आपत्तियों के बावजूद मेरे मुवक्किल के नाम एवं हस्ताक्षर का उपयोग जारी रहा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एवं विधिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप मेरे मुवक्किल को सार्वजनिक हित में संस्थान की अनियमितताओं को उजागर करने और नियामक संस्थाओं को शिकायतें भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा।

Rajkumar Lamba
Advocate, Pilani (Raj.)

3. प्रतिशोधात्मक एवं मानहानिकारक कार्यवाही

7. यह कि, मेरे मुवक्किल द्वारा सार्वजनिक हित में संस्थान की अनियमितताओं को उजागर किए जाने और नियामक संस्थाओं को शिकायतें भेजे जाने पर आपके संस्थान द्वारा मेरे मुवक्किल के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया गया।
8. यह कि, मेरे मुवक्किल के **विरुद्ध मानहानि नोटिस** भेजा गया तथा उन्हे डराने, दबाव बनाने एवं चुप कराने का प्रयास किया गया।

4. दबाव, प्रताड़ना एवं शिकायत वापसी

9. यह कि, उपर्युक्त घटनाक्रम के पश्चात मेरे मुवक्किल ने अपनी शिकायते जारी रखी, जिस कारण आप द्वारा मेरे मुवक्किल पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दबाव बनाए गए, जिससे कि मेरे मुवक्किल अपनी वैध शिकायतों को आगे न बढ़ा सके।
10. यह कि उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण मेरे मुवक्किल को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिससे उनकी एवं उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका उत्पन्न हुई।
11. यह कि, उक्त परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मेरे मुवक्किल ने अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए; मेरे मुवक्किल ने सद्भावना के साथ मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से अपनी की गई शिकायते वापस ली।
12. यह कि, संस्थान प्रशासन द्वारा बनाए गए दबाव, धमकी, प्रतिशोध की आशंका तथा पद-प्राधिकरण के भय के दौरान मेरे मुवक्किल को ऐसी प्रतिकूल एवं दबावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हे व्यक्तिगत रूप से संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधन से मिलकर मामले को शांतिपूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु अत्यंत विनम्र एवं आत्मसम्मान-विरुद्ध परिस्थितियों में भी पहल करनी पड़ी।
13. यह कि, उक्त प्रयास मेरे मुवक्किल द्वारा केवल अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा तथा अनावश्यक विवाद से बचने के उद्देश्य से किया गया था, न कि किसी प्रकार की त्रुटि या दोष की स्वीकृति के रूप में।
14. यह कि, मेरे मुवक्किल द्वारा वापस ली गई शिकायतों का उपयोग संस्थान द्वारा विभिन्न मंचों पर अपने बचाव हेतु किया गया, जबकि मेरे मुवक्किल के प्रति प्रताड़नात्मक व्यवहार जारी रखा गया।

5. झूठा एवं दुर्भावनापूर्ण अभियोजन

15. यह कि, मेरे मुवक्किल द्वारा संस्थान की अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायतों के उपरांत संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा संस्थान के विरुद्ध जांच कार्यवाही की गई। उक्त जांच के परिणामस्वरूप संस्थान के विरुद्ध नियामक कार्रवाई की गई, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव भी सम्मिलित रहें।
16. यह कि, उपर्युक्त घटनाक्रम के पश्चात आपकी संस्था द्वारा मेरे मुवक्किल के विरुद्ध थाना धनूरी, जिला झुंझुनू में **FIR No. 0047/2025** संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि/रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें गंभीर आपराधिक धाराएँ आरोपित की गई।
17. यह कि, उक्त FIR तथ्यहीन, निराधार एवं प्रतिशोध की भावना से प्रेरित थी।
18. यह कि, उक्त कार्यवाही मेरे मुवक्किल पर दबाव बनाने के लिए कि गई थी, ताकि भविष्य में वे और अन्य कोई आपकी संस्था के विरुद्ध शिकायत करने का साहस न कर सकें।
19. यह कि, उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा विस्तृत अनुसंधान के उपरांत **दिनांक 01.09.2025** को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के समक्ष Final Report/Closer Report प्रस्तुत की गई। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई Final Report/Closer Report को आप द्वारा **दिनांक 14.03.2026** को राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया।
20. यह कि, Final Report में स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज है कि ***"युनिवर्सिटी की शिकायतों को रोकने के लिए प्रकरण दर्ज करवाया गया। संपूर्ण अनुसंधान में कोई अपराध घटित होना नहीं पाया गया तथा आरोप असत्य पाए गए।"***

Rajkumar Lamba
Advocate, Pilani (Raj.)

21. यह कि, प्रारंभिक परिवाद की जांच के दौरान भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं पाया गया।
22. तथापि, उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद मेरे मुवक्किल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (FIR) दर्ज कराया जाना यह दर्शाता है कि उक्त कार्यवाही प्रतिशोधात्मक (दुर्भावनापूर्ण), मनगढ़ंत एवं विधि का दुरुपयोग थी।

6. बैठक एवं मौखिक आश्वासन

23. यह कि, **दिनांक 12.10.2025** को आपके संस्थान के प्रतिनिधि ***श्री विशाल टिबड़ेवाला*** **एवं** ***श्री अमन गुप्ता*** **द्वारा** मेरे मुवक्किल के साथ बैठक की गई, जिसमें उनके साथ हुई घटनाओं के संबंध में खेद व्यक्त किया गया।
24. यह कि, उक्त बैठक में यह भी मौखिक रूप से व्यक्त किया गया कि भविष्य में मेरे मुवक्किल के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा संस्थान द्वारा स्थिति को सुधारने के संबंध में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
25. यह कि, मेरे मुवक्किल को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा भविष्य में संस्थान में पुनः अवसर प्रदान करने की संभावना भी व्यक्त की गई। लेकिन किसी भी आश्वासन को लिखित रूप में प्रदान नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थान द्वारा औपचारिक उत्तरदायित्व स्वीकार करने से परहेज किया गया।

7. आर्थिक, मानसिक एवं पारिवारिक क्षति

26. यह कि, उपर्युक्त घटनाक्रम एवं निरंतर दबावपूर्ण परिस्थितियों के कारण मेरे मुवक्किल अत्यधिक मानसिक तनाव एवं भावनात्मक आघात की स्थिति में आ गये थे, जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ा है।
27. यह कि, उक्त कृत्यों के परिणामस्वरूप मेरे मुवक्किल एवं उनकी पत्नी को गंभीर आर्थिक, मानसिक क्षति का सामना करना पड़ा हैं।
28. यह कि, मेरे मुवक्किल एवं उनकी पत्नि की संयुक्त मासिक आय लगभग ₹75,000/- थी, जो जबरन त्यागपत्र के कारण समाप्त हो गई।
29. यह कि, आर्थिक संकट के कारण मेरे मुवक्किल अपने आवासीय ऋण/गृह कर्ज का भुगतान समय पर नहीं कर पाए, अपने पिता के आवश्यक चिकित्सा उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए।
30. यह कि, उपरोक्त परिस्थितियों तथा झूठे-दुभावनापूर्ण आरोपों के कारण न केवल मेरे मुवक्किल को, अपितु उनकी पत्नि को भी अत्यधिक मानसिक तनाव, पारिवारिक पीड़ा, सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति एवं करियर और अवसर की हानि का सामना करना पड़ा।

Rajkumar Lamba Advocate Enroll No. R/1462/2016 Pilani (Raj.)-333031

8. क्षतिपूर्ति का आकलन

31. यह कि, उपरोक्त समस्त परिस्थितियों, आय हानि, भविष्य की हानि, मानसिक उत्पीड़न, प्रतिष्ठा क्षति एवं आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए कुल क्षतिपूर्ति ₹75,00,000/- (पचहत्तर लाख रुपए) निर्धारित की जाती है, तथापि, यह राशि संकेतात्मक (indicative) है और मेरे मुवक्किल यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ₹1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) या उससे अधिक की क्षतिपूर्ति का दावा कर सके।

9. आपकी विधिक जिम्मेदारी

32. यह कि, मेरे मुवक्किल द्वारा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्र हित का पक्ष अपनाने के कारण आपके संस्थान द्वारा विधि का दुरुपयोग करते हुए मेरे मुवक्किल से जबरन त्यागपत्र लिया गया, दबाव एवं प्रताड़ना की गई, झूठा एवं दुर्भावनापूर्ण अभियोजन कराया गया, मानहानि एवं मानसिक उत्पीड़न किया गया जिसके लिए आप पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

10. साक्ष्य संबंधी स्पष्टीकरण

14/10/25
Rajkumar Lamba
Advocate, Pilani (Raj.)

33. मेरे मुवक्किल द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त घटनाक्रम से संबंधित प्रासंगिक साक्ष्य, अभिलेख एवं अन्य सामग्री मेरे मुवक्किल के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

लिहाजा नोटिस प्रेषित कर आपको हिदायतानुसार मेरे मुवक्किल द्वारा आगाह किया जाता है कि मेरे मुवक्किल के विरुद्ध लगाए गए झूठे आरोपों, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, जबरन त्यागपत्र, अभिलेखों के अनधिकृत उपयोग एवं आर्थिक-मानसिक क्षति के लिए लिखित सार्वजनिक माफीनामा जारी करें। मेरे मुवक्किल के विरुद्ध किए गए झूठे-दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, मानहानि, आर्थिक-मानसिक उत्पीड़न, प्रतिष्ठा हानि और करिअर एवं अवसर हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ₹75,00,000/- (पचहत्तर लाख रुपए) 15 दिनों के भीतर अदा करें। मेरे मुवक्किल के विरूद्ध भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्यवाही न करने का लिखित आश्वासन दे। मेरे मुवक्किल एवं उनकी पत्नि की सेवा अवधि के दौरान संचित ग्रेज्युटी, बोनस, अवकाश का नकदीकरण आदि बकाया राशी का अलग से भुगतान करें तथा नोटिस खर्चा ₹11000/- भी 15 दिवस की मियाद में मेरे मुवक्किल को अदा करें। यदि इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस कि मियाद बितने के बाद उक्त मांगों का पालन और अदायगी नहीं करने की सूरत में मेरे मुवक्किल द्वारा आपके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution), मानहानि (Law of Torts & Defamation), मानवाधिकार का उल्लंघन, धोखाधड़ी/कुटरचना से संबंधित प्रावधान (prima facie IPC 463, 465, 468, 471), के अंतर्गत उपयुक्त सिविल एवं आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसका समस्त खर्च एवं दायित्व के जिम्मेदार आप स्वयं होगे। सो आगाह रहें।

Rajkumar Lamba Advocate Enroll No. R/1462/2016 Ward No.-33, Rampura-Beri Road, Pilani (Raj.)-333031

दिनांक : 04/04/2026

अधिवक्ता 4/4/26
Rajkumar Lamba
Advocate, Pilani (Raj.)
राजकुमार लाम्बा
न्यायालय परिसर, पिलानी
मो. 9460341383

नोट: यह विधिक नोटिस मेरे मुवक्किल के सभी वैधानिक अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रेषित किया जा रहा है। इस नोटिस की एक प्रति मेरे कार्यालय अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी गई है।

अधिवक्ता 4/4/26
Rajkumar Lamba
Advocate, Pilani (Raj.)
राजकुमार लाम्बा
न्यायालय परिसर, पिलानी